

राज्य / जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु प्रेरक के लिए प्रारूप

(सहयोग अवधि: वित्तीय वर्ष 2023–24 दिनांक 01–04–..... से दिनांक 31–03–..... तक)

(वित्तीय वर्ष में दिये गये सहयोग राशि या सामान/वस्तु/भौतिक कार्य की लागत राशि के आधार पर कार्य की पूर्णता के आधार पर किया जावें, कार्य के प्रारंभ/प्रस्ताव दिनांक के आधार पर नहीं किया जावें। ज्ञान संकल्प पोर्टल पर उन्हीं प्रेरक हेतु प्रारंभ होगा जिनका नाम किसी भी भामाशाह द्वारा अपने प्रस्ताव में लिखा गया है। प्रेरक अपने मोबाइल नम्बर की सहायता से ज्ञान संकल्प पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं।)

ए.	प्रेरक की सामान्य जानकारी						
1.	प्रेरक की निम्न जानकारी ज्ञान संकल्प पोर्टल पर रजिस्टर के दौरान इन्ड्राज की गई जानकारी से स्वतः ही प्रदर्शित होगी। त्रुटि होने की स्थिति में पहले ज्ञान संकल्प पोर्टल की प्रोफाइल को अपडेट करें।						
	भामाशाह / दानदाता का नवीनतम फोटो						
	अ—प्रेरक का नाम						
	आ—पिता/पति का नाम						
	इ—पद व पदस्थापन स्थान						
	ई—एम्प्लायी ऑर्झडी						
	उ—जन्म दिनांक (दिन/माह/वर्ष में अंकित करें)						
	ऊ—मोबाइल नम्बर						
	ए—ई—मेल						
	ऐ—वर्तमान/स्थायी पता						
	ऐ—शैक्षणिक योग्यता						
2.	प्रेरक का पत्र व्यवहार का पता (विभाग द्वारा पत्र व्यवहार अंकित पते पर किया जावेगा)						
बी	दानदाता/भामाशाहकाविवरणजिसेप्रेरितकिया—						
	क्र. सं.	भामाशाह का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	अन्तिम लागत	ट्रांजेक्शन / कार्य पूर्णता दिनांक	विद्यालय	जिला
	1						
	2						
	कुल सहयोग/लागत राशि (रुपये लाखों में)			रु. लाख			
सी	अन्य जानकारी व प्रमाणिकरण						
3.	आपकी प्रेरणा से दानदाताओं द्वारा किये गये सहयोग का विवरण						
4.	शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रेरक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र/हित में सहयोग अवधि में किये गए अन्य महत्वपूर्ण सहयोगों का विवरण						
5.	प्रेरक के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन है या नहीं।			हां/ नहीं यदि हां तो विवरण			
6.	प्रेरक के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है या नहीं।			हां/ नहीं यदि हां तो विवरण			
7.	प्रेरक संक्षिप्तपरिचय						
8.	सम्मान के सम्बन्ध में सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करें। फाइल संलग्न करें।						

- प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का विभागीय कार्यवाही और आपराधिक वाद किसी भी न्यायालय/पुलिस थाना में विचाराधीन नहीं है/ दर्ज नहीं है।
- प्रमाणित किया जाता है कि दानदाता द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि दस्तावेजों से करली गई है। मेरी जानकारी में उपर्युक्त तथ्य पूर्णतया सत्य है। यदि उपर्युक्त सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि की समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है।

दिनांक:

हस्ताक्षर प्रेरक
नाम प्रेरक

यह प्रपत्र शिक्षा विभाग के उपयोगार्थ है। भामाशाह द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जावें।
प्रेरक आवेदन के उपरान्त विभाग द्वारा प्रमाणिकरण के समय उपयोग हेतु।

राज्य / जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु प्रेरक के लिए प्रारूप
(सहयोग अवधि: वित्तीय वर्ष , दिनांक 01-04-..... से दिनांक 31-03-..... तक)

प्रेरक का नाम :
पिता/पति का नाम :
पद व पदस्थापन स्थान :

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणिकरण

(यह प्रमाणिकरण जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने स्तर से करवाया जाएगा, इसकी ज्ञान संकल्प पोर्टल पर किसी भी प्रकार का इन्द्राज नहीं किया जा सकेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रेरक से सम्बन्धित उपरोक्त विवरण सही है। गलत पाये जाने पर इसके लिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता उत्तरदायी हैं।

**संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर**

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य./प्रार.)/अति. जिला परियोजना समन्वयक द्वारा प्रमाणिकरण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रेरक से सम्बन्धित उपरोक्त विवरण सही है। उक्त कार्मिक/अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। कर्मचारी/अधिकारी को प्रेरक के रूप में चयन कर सम्मानित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया जाता है।

**हस्ताक्षर सम्बन्धित जि.शि.अ./अ.जि.प.स.
मय मोहर**

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अभिशंषा

प्रमाणित किया जाता है कि प्रेरक का अध्ययन करने के उपरान्त प्रेरक का योगदान सर्वश्रेष्ठ रहा है। इन्होंने विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार न्यूनतम तीस लाख रूपये अथवा इससे अधिक योगदान देने वाले भामाशाह/भामाशाहों को प्रेरित किया है। इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। अतः इन्हें प्रेरक के रूप में चयनकर सम्मानित किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

**हस्ताक्षर सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
मय मोहर**